मुण्डावर

08/5/26 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित।
वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है
विरुद्ध नोटिस प्रपत्र के लिए जारी
पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली
वास्ते सुनवाई दिनांक नियत
पत्रावली जिला लोक अदालत में शामिल

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या
299/2025

दायर दिनांक
13.10.2025

निर्णय दिनांक
06.05.2026

बउनवान

1. फुलसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. भीमसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. सन्तराम पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. सुशीला पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. मुकेश पुत्र धीनराम जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. ईश्वर पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. सुबेसिंह लक्ष्मण जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. मुन्नी पुत्री लक्ष्मण जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. रोशनी पुत्री लक्ष्मण जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादीगण

बनाम

1. पतराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी नंगली ओझा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0। फौत

1/1 धर्मसिंह पुत्र पतराम
1/2 धर्मा पुत्री पतराम
1/3 धनसिंह पुत्र पतराम जातियान जाट निवासीयान नंगली ओझा तहसील मुण्डावर

2. रमेश पुत्र जयदयाल जाति जाट निवासीयान नंगली ओझा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0। फौत

2/1 छोटा देवी पत्नी रमेश
2/2 हेमन्त पुत्र रमेश
2/3 धर्मवीर पुत्र रमेश
2/4 समुन्द पुत्र रमेश
2/5 मनीषा पुत्री रमेश
2/6 जगवन्ती पुत्री रमेश

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
(खैरथल तिजारा)

2/7 सुमन पुत्री रमेश जातियान जाट निवासीयान नगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

3. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज एवं हु0 ई0 दवामी अन्तर्गत
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी वकील – श्री सरजीत कुमार

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल ख0न0 427 रकबा 0.62 है0, 87 रकबा 0.01 है0, 88 रकबा 0.67 है0, वाके ग्राम नंगली ओझा तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज0 में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी ख0न0 427 रकबा 0.62 है0, गत ख0 न0 339 से व हाल ख0 न0 87 रकबा 0.01 है0, 88 रकबा 0.67 है0, गत ख0 न0 74 से पैमूद किये गये है, गत ख0 न0 339 रकबा 2.09, 74 रकबा 2.14 बीघा वाके ग्राम नंगली औझा वादीगण के दादा रूपराम चन्दर पुत्रान शेरसिंह की खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी रही है। सम्वत 2015 से 2027 तक वादीगण के दादा रूपराम, चन्दर पुत्रान शेरसिंह के नाम दर्ज रेवेन्यू रिर्कोड साकिन दहे खातेदार दर्ज रहा है, चन्दर लावल्द फौत हो गया, जिसका विधिक वारिस वादीगण का दादा रूपराम पुत्र शेरसिंह रहा है।
3. यह है कि वादीगण के पूर्वज का सजरा निम्न प्रकार है।

शेरसिंह

रूपराम | चन्दर नाओलाद फौत

मोहर सिंह–फौत | धनीराम–फौत | लक्ष्मण फौत

फुलसिंह भीमसिंह सन्तरा सुशीला | मुकेश | ईश्वर मुन्नी रोशनी सुबेसिंह

4. यह है कि रेवेन्यू कर्मचारियों ने प्रतिवादी स० 1 व 2 से साजबाज होकर सम्वत 2028 ल0 31 की जमाबन्दी में ख0न0 74, 339 के ख0न0 74 में पतराम पुत्र हरलाल जाट साकिन देह शिकमी साल 1/2 व ख0न0 339

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

में रमेश पुत्र जयदयाल जाट साकिन देह 1/2 दर्ज कर रेवेन्यू रिकॉड दर्ज कर दिया, जो अंकन अभी तक रेवेन्यू रिकॉड में चला आ रहा रहा है।

5. यह है कि उक्त आराजी में सरकार द्वारा नेशनल सुपर मेघा हाईवे निकाला गया है. जिसकी ऐवज में खातेदारान को भूमि का मुआवजा राशि सरकार द्वारा ही दी जा रही है, वादीगण ने भी मुआवजा के लिये प्रार्थना पत्र व रेवेन्यू रिर्कोड पेश किया तो सरकार ने मुअ प्रतिवादीगण का नाम रेवेन्यू रिर्कोड में शिकमी दर्ज है। वादीगण ने प्रतिवादीगण मुआवजा राशि अदा नहीं की क्यो से रेवेन्यू रिर्कोड से अपना नाम हटवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी स० 1 व 2 के विधिक वारिसान ने कहा कि आराजी से हमारा कोई लेना देना नही है. लेकिन दिनांक 30/8/2025 को नाम हटवाने से इंकार कर दिया तथा ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि उकत आराजी को रेवेन्यू रिकोर्डस हमारे नाम दर्ज है, हम तुमको आराजी से बेदखल कर देगे तथा उक्त आराजी में तुम्हारे नाम हटवाकर हम अपने नाम करायेगे, जिससे बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा करना लाजिमी आया है।

6. यह है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण ने कभी काश्त नहीं किया है, ना ही काबिज आराजी रहे है, लेकिन रेवेन्यू कर्मचारियों ने उक्त आराजी में प्रतिवादीगण स० 1 व 2 के नाम का अंकन शिकमी के रूप में गलत दर्ज किया है, जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है तथा उकत आराजी मतें वादीगण के हक हकूक निहित है। अतः उक्त आराजी के ख0न0 427 में रमेश पुत्र जयदयाल जाट साकिन देज शिकमी व ख0न0 87, 88 में पतराम पुत्र हरलाल जाट साकिन दहेज शिकमी साल 8.5 को हजफ कर, शेष रेवेन्यू रिकॉड यथावत रखा जावे।

7. यह है कि प्रतिवादीगण ने रेवेन्यू रिकोर्डस में अपना नाम होने का फायदा उठाते हुये दिनांक 30/8/2025 को उक्त आराजी वादीगण से वादीगण को बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी है, जबकी वीदगण के अधिकार कानून द्वज्ञरा सुरक्षित है, वादीगण प्रतिवादी को हु० दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है, यदि अर प्रतिवादी अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजहद क्षति कारित होगी, जिसकी क्षतिपूर्ती रूपयै पैसों मतें आंका जाना सम्भव नही होगा, तथा सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष में आयद वो साबित है तथा मिन वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त आराजी में प्रवेश नही करे, वादीगण के कब्जेकाश्त में मजाहमत पैदा ना करे ना ही वादीगण को आराजी से बेदखल करे।

8. यह है कि दावा में राज० सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है, परन्तु राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार मुण्डावर के खिलाफ वाद पेश करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा०दी० दिया जाना आवश्यक होता है तथा दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस दिये बिना ही वाद पेश किया जा रहा है। इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु अलग से दावा के साथ धारा 80 (2) जा०दी० का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वादीगण ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः वाद पेशकर निवेदन है कि वाद कायमी तनकीयात विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद निम्न प्रकार डिकी किया जावे–

(अ) यह है कि आराजी ख0न० हाल 427 रकबा 0.62 हैक्0, 87 रकबा 0.01 है0, 88 रकबा 0.67 है0, वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज० से रेवेन्यू रिकोर्डस में दर्ज नाम रमेश पुत्र जदयाल जाट, पतराम पुत्र हरलाल जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 को हजफ किया जावे व शेष रेवेन्यू रिकोर्डस यथावत रखा जावे।

(ब) यह है कि प्रतिवादीगण को हु० ई०दवामी से पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजी से वादीगण को बेदखल ना करे, ना ही आराजी पर कब्जा करे, वादीगण का कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा ना करे, ।

(स) दिगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान मुनासिब समझे बख्सी जावे।

(द) खर्चा मुकदमा मिन वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/3 की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/7 की ओर से इकबाल जबाव दावा प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2071–74, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2025–2031, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2070, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2029, प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2015 पेश किये।

वादीगण की ओर से संक्षिप्त बहस इस प्रकार प्रस्तुत है कि विवादित आराजी खसरा नं. 427, 87 एवं 88 ग्राम नंगली ओझा मूलतः वादीगण के पूर्वज रूपराम एवं चन्दर पुत्रान शेरसिंह की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि रही है, जिसका राजस्व अभिलेख सम्वत 2015 से 2027 तक लगातार वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज होना प्रदर्श–5 एवं अन्य जमाबन्दियों से प्रमाणित है। चन्दर निःसंतान मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा उसका विधिक उत्तराधिकारी रूपराम रहा, जिससे सम्पूर्ण खातेदारी अधिकार वादीगण के पूर्वजों को प्राप्त हुए।

यह कि प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई वैधानिक संबंध नहीं रहा तथा न ही वे कभी उक्त भूमि पर काश्तकार अथवा कब्जेदार रहे हैं। राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादीगण से सांठगांठ कर सम्वत 2028–31 की जमाबन्दी में प्रतिवादी पतराम एवं रमेश के नाम शिकमी रूप में गलत एवं अवैध अंकन कर दिया गया, जो कि कानूनन शून्य एवं निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा पेश प्रदर्श–1 से प्रदर्श–5 राजस्व अभिलेख स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करते हैं कि मूल खातेदारी एवं वास्तविक कब्जा वादीगण के पूर्वजों तथा वर्तमान वादीगण का ही रहा है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

यह कि प्रतिवादीगण स्वयं भी विवादित भूमि पर किसी प्रकार का वास्तविक कब्जा या काश्त सिद्ध नहीं कर सके हैं। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 तामील उपरांत अनुपस्थित रहे, जिससे वादी कथन अप्रतिवादित रहा। प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/7 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा भी वादीगण के दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन नहीं कर सका।

यह भी बहस की गई कि वर्तमान में विवादित भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु होने से मुआवजा कार्यवाही प्रचलित है तथा गलत राजस्व इन्द्राज के कारण वादीगण के वैध अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। प्रतिवादीगण केवल गलत शिकमी इन्द्राज के आधार पर वादीगण को बेदखल करने एवं अधिकारों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दिनांक 30.08.2025 को प्रतिवादीगण द्वारा दी गई धमकी से वादीगण के अधिकारों पर वास्तविक संकट उत्पन्न हुआ है, अतः स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना भी आवश्यक है।

अतः वादीगण की ओर से निवेदन है कि वाद स्वीकार कर विवादित आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रतिवादीगण के शिकमी नामों को हटाकर शेष रिकॉर्ड यथावत रखा जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा वादीगण के कब्जे एवं खातेदारी अधिकारों में हस्तक्षेप करने से पाबन्द किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचारणीय है। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2071–74, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2025–2031, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2070, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2029 तथा प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2015 पेश किये हैं। प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि विवादित आराजी मूलतः वादीगण के पूर्वज रूपराम एवं चन्दर पुत्रान शेरसिंह की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि रही है।

प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 तामील उपरांत अनुपस्थित रहे, जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/7 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा से वादीगण के दस्तावेजी साक्ष्यों का प्रभावी खण्डन नहीं किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर वास्तविक कब्जा अथवा वैध अधिकार संबंधी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध जमाबन्दियों एवं अन्य दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के नाम शिकमी रूप में किया गया अंकन त्रुटिपूर्ण एवं तथ्यविहीन प्रतीत होता है। वादीगण का विवादित आराजी पर श्रेष्ठ अधिकार एवं कब्जा सिद्ध होता है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख से हटवाने तथा अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। फलस्वरूप, वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

निर्णय

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है।

अतः विवादित आराजी खसरा नं. 427 रकबा 0.62 हैक्टेयर, 87 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं 88 रकबा 0.67 हैक्टेयर स्थित ग्राम नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा के राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रतिवादीगण पतराम पुत्र हरलाल जाट एवं रमेश पुत्र जयदयाल जाट के शिकमी इन्द्राज को हजफ किया जाकर शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे तथा वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकार स्वयं वहन करेंगे। डिक्री पत्र तैयार किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :— सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिकी दिनांक
299 / 2025	13.10.2025	06.05.2026

बउनवान

1. फुलसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. भीमसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. सन्तराम पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. सुशीला पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. मुकेश पुत्र धीनराम जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. ईश्वर पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. सुबेसिंह लक्ष्मण जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. मुन्नी पुत्री लक्ष्मण जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. रोशनी पुत्री लक्ष्मण जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— वादीगण

बनाम

1. पतराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी नंगली ओझा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0। फौत

1/1 धर्मसिंह पुत्र पतराम

1/2 धर्मा पुत्री पतराम

1/3 धनसिंह पुत्र पतराम जातियान जाट निवासीयान नंगली ओझा तहसील मुण्डावर

2. रमेश पुत्र जयदयाल जाति जाट निवासीयान नंगली ओझा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0। फौत

2/1 छोटा देवी पत्नी रमेश

2/2 हेमन्त पुत्र रमेश

2/3 धर्मवीर पुत्र रमेश

2/4 समुन्द पुत्र रमेश

2/5 मनीषा पुत्री रमेश

सहायक कलक्टर (फास्ट्रैक)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2/6 जगवन्ती पुत्री रमेश
2/7 सुमन पुत्री रमेश जातियान जाट निवासीयान नगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज एवं हु0 ई0 दवामी अन्तर्गत
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री सरजीत कुमार एडवोकट व** प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 06.05.2025** को **सृष्टि जैन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :–**

अतः विवादित आराजी खसरा नं. 427 रकबा 0.62 हैक्टेयर, 87 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं 88 रकबा 0.67 हैक्टेयर स्थित ग्राम नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा के राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रतिवादीगण पतराम पुत्र हरलाल जाट एवं रमेश पुत्र जयदयाल जाट के शिकमी इन्द्राज को हजफ किया जाकर शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे तथा वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकार स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0